

(2)

FORM NO. III

20/19/00/03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बडीसादडी
सिन्हा गेन्डी वादी बनाम श्री सिम्बल
 किस्म मुकद्दमा 128 RLA नं. 21/2015 सन् 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.5.19	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>सिन्हा</u>..... ग्राम.....<u>सिन्हा</u>.....की आ.नं. 25 की 315 नं. 71, 74 कुल की 02 रुबा 0.70 ई. विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>600/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	